

कार्यालय
पत्र सं०: सी०एफ०ओ०/पेट्रोल पम्प/एफएस-2019
सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट
रायबरेली।

मुख्य
अग्निशमन

अधिकारी

रायबरेली
दिनांक: नवम्बर 28, 2019

विषय:- भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० लखनऊ द्वारा प्रस्तावित स्थल ग्रा० अलीपुर चकरई, तहसील डलमऊ, जनपद रायबरेली में एम०एस० एण्ड एच०एस०डी० रिटेल आउटलेट/फिलिंग स्टेशन की स्थापना हेतु निरीक्षण आख्या दिये जाने के सम्बन्ध में।
संदर्भ:- कृपया अपने पत्र सं० 1402/रा०सहा०-प्रथम/2019 दिनांक: 17.09.2019

महोदय,

उक्त विषयक भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० लखनऊ द्वारा प्रस्तावित स्थल ग्रा० अलीपुर चकरई, गदागंज, तहसील डलमऊ, जनपद रायबरेली गाटा सं०: 378 में एम०एस० एण्ड एच०एस०डी० रिटेल आउटलेट/फिलिंग स्टेशन डलमऊ से ऊँचाहार रोड निकट किमी० स्टोन-181 (डलमऊ-14 व ऊँचाहार-21) (एस०एच०-38) का अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से निरीक्षण गुप्त मुख्य अग्निशमन अधिकारी रायबरेली द्वारा किया गया आख्या निम्नवत् है:-

ढाँचागत संरचना के सम्बन्ध में:-

- 1- प्रस्तावित रिटेल आउटलेट का प्लॉट एरिया-1451.61 वर्ग मी० है जो डलमऊ से ऊँचाहार रोड निकट किमी० स्टोन-181 (डलमऊ-14 व ऊँचाहार-21) (एस०एच०-38) ग्रा० अलीपुर चकरई, थाना गदागंज, तहसील डलमऊ, जनपद रायबरेली गाटा सं०: 378 में स्थित पाया गया है।
- 2- प्रस्तावित कार्यस्थल अग्निशमन विभाग के छोटे-बड़े वाहन सुगमता पूर्वक व आसानी से आ जा सकते हैं।
- 3- प्रस्तावित कार्यस्थल के दक्षिण की तरफ पक्की सड़क व अन्य तीन तरफ कृषि योग्य भूमि पायी गयी।
- 4- प्रस्तावित स्थल पर 20 कि०मी० क्षमता का 01 एच०एस०डी० एवं 15 कि०मी० क्षमता का 01 एम०एस० टैंक स्थापित किया जायेगा।
- 5- प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/फिलिंग स्टेशन के 100 मी० चारो तरफ वर्तमान में कोई चिंगारी उत्पन्न करने वाला संस्थान नहीं पाया गया। और न ही अति ज्वलनशील/खतरनाक पदार्थों का भण्डारण पाया गया। तथा संस्थान के ऊपर इलेक्ट्रिक लाइन भी नहीं पायी गयी।
- 6- प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के निर्माण में कोई विवाद न्यायालय में नहीं है यह मानचित्र पर क्रमांक 21 पर अंकित है।

प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्था:-

- 1- मानचित्र में प्रस्तावित सभी शर्तों का पालन किया जाये।
- 2- परिसर का प्रयोग केवल पेट्रोलियम पदार्थों के भण्डारण एवं विक्रय हेतु किया जायेगा।
- 3- अण्डर ग्राउण्ड टैंक के पास धूम्र पान निषेध का बोर्ड लगाया जाये तथा कर्व वाल के पास 06 अदद सैण्ड बकेट लालरंग से रंगकर 1 रटैण्ड पर टांग कर रखे जायें।
- 4- भवन व मशीनों के विद्युतीकरण में भारतीय मानक 2148 का पालन किया जाये।
- 5- फस्ट एड बाक्स 2 अदद रखे जायें।
- 6- डिस्पेंसिंग मशीनों हेतु 05 अदद ए०बी०सी० 9 कि०ग्रा० क्षमता के व 01 अदद सी०ओ०टू० 4.5 कि०ग्रा० क्षमता का फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यालय हेतु आई०एस०आई०मार्क का लगाया जाना आवश्यक होगा।
- 7- संस्थान में स्थापित टेलीफोन के समीप नजदीकी फायर स्टेशन का टेलीफोन नं०-112,0535-2203493 व सी०यू०जी० नं०-9454418669 का बोर्ड लगाया जाये।
- 8- संस्थान में लगाये जा रहे सबमर्सिबल पम्प को जनरेटर से जोड़ा जाये तथा इस पर 63 एम.एम. मेल कपलिंग/लैडिंग वाल्व लगाया जाये जिससे आपातकालीन के समय अग्निशमन की मशीनों को सुगमता से पानी प्राप्त हो सके।
- 9- भूमिगत टैंकों में टैंक लारी(टैंकर) से पेट्रोलियम पदार्थ ड्रेन करते समय लारी को अर्थ पिट से प्रत्येक दशा में जोड़ा जायें।
- 10- संस्थान का प्रवेश एवं निकास मार्ग सदैव अवरोध रहित रखा जायें इसमें किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न किया जाये।

अतः उपरोक्त ढाँचागत एवं प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्था को अधिष्ठापित कराये जाने तथा पम्प के संचालन के पूर्व उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्थाओं को इस विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराये जाने की शर्त के साथ प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के निर्माण कराये जाने की निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित सादर प्रेषित है।

सलग्नक- अनुमोदित मानचित्र

प्रतिलिपि:-

- 1- भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० लखनऊ द्वारा प्रस्तावित स्थल ग्रा० अलीपुर चकरई, तहसील डलमऊ, जनपद रायबरेली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
रायबरेली

Swagj Prasad

Attorney

26/12/19